पुस्तकें उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं : धर्मेंद्र प्रधान

★युवा इन्हें पढ़ने की आदत विकसित करें

अहमदाबाद, (भाषा)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुस्तकें जीवन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं और युवाओं को इन्हें पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। उन्होंने गुजरात को एक बौद्धिक राज्य बताया जो पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति में हमेशा अग्रणी रहा है। प्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती इवेंट सेंटर में अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2025 और फूड फॉर थॉट फेस्ट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) को बधाई देना चाहता हूं। कई वर्षों से वे लगातार अहमदाबाद में खूबसूरत पुस्तक मेलों का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय बुक फेस्टिवल 2025 गुजरात विक्ज पीठ के मंडप में प्रतिभागी को प्रणामपत्र प्रदान करते हुए। (एएनआई)

देश भर के 300 से अधिक प्रकाशक इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, गुजरात हमेशा से पढ़ने और पढ़ाने में अग्रणी रहा है। यह एक बौद्धिक और चिंतनशील राज्य है। ऐसे राज्य में पुस्तकें उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। ८

प्रधान ने कहा, यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी पुरानी पुस्तकों को पढ़ने के साथ-साथ तकनीक-आधारित पठन में भी रुचि विकसित करे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज जब वह देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पुस्तकालय आंदोलन, पुस्तक मेलों और साहित्यिक आंदोलन पर हमेशा जोर देते हैं।

उन्होंने कहा कि पुस्तक मेला युवा पीढ़ी में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करेगा। प्रधान और मुख्यमंत्री पटेल ने उसी स्थल पर आयोजित फूड फॉर थॉट फेस्ट का भी दौरा किया। यह 16 नवंबर तक चलेगा। वांचे गुजरात 2.0 के तहत, पुस्तक महोत्सव 13 नवंबर को शुरू हुआ और 23 नवंबर जारी रहेगा जबकि फूड फेस्ट का 16 नवंबर को समापन होगा।

120 बहादुर की टीम की मौजूदगी में रक्षा मंत्री ने रेजांग ला युद्ध पर डाक टिकट जारी किया

नई दिल्ली, (भाषा)। वर्ष 1962 में रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित आगामी फिल्म 120 बहादुर के निर्माताओं की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के सैनिकों के सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट माय स्टाम्प जारी किया है। लद्दाख के रेजांग ला युद्ध स्मारक पर आधारित इस डाक टिकट का अनावरण सिंह ने 18 नवंबर को युद्ध की 63वीं वर्षगांठ से पहले बुधवार को राजधानी में किया। फिल्म निर्माताओं ने एक बयान में कहा कि फिल्म के मुख्य कलाकार और निर्माता फरहान अख्तर और निर्देशक रजनीश राजी घई भी इस अवसर पर उपस्थित थे। साथ ही डाक सेवा महानिदेशक जितेंद्र गुप्ता, फिल्म निर्माता रितेश सिधवानी, अमित चंद्रा और अरहान बागती भी मौजूद थे।

आवारा पशुओं पर कोर्ट का आदेश अव्यावहारिक : मेनका

नई दिल्ली, (भाषा)। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बृहस्पतिवार को आवारा पशुओं को हटाने और उन्हें आश्रय गृहों में रखने के उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्देश को अव्यावहारिक बताया और कहा कि पशुओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण करुणा पर आधारित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि पर गौर किया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में भेजने का निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित संबंधित अधिकारियों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं व मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। यहां एक कार्यक्रम में सवालों के जवाब में मेनका गांधी ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कुत्ते हटाओ, बिल्ली हटाओ, बंदर हटाओ, उन्हें आश्रय स्थल में रखो, उनकी नसबंदी करो, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा नहीं कर सकता... यह अव्यावहारिक है। उन्होंने नगर निकायों के बीच समन्वय की कमी पर भी सवाल उठाया और कहा कि पशुओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करुणा से होना चाहिए, न कि नियंत्रण से। पूर्व सांसद ने सिनेकाइंड की शुरुआत के अवसर पर यह बात कही। यह पहल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) द्वारा मेनका के संगठन पीपुल फॉर एनिमल्स (पीएफए) के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका मकसद सिनेमा में दयालुता और मानवीय कहानी दर्शाने वालों को सम्मानित करना है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को पशुओं और प्रकृति के प्रति सहानुभूति को कमजोरी के बजाय ताकत के रूप में चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी

(Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure)
The Court of
Ms. Ruby Alka Gupta, District Judge (Commercial Court)-02, East, Room No. 101, New Building, Karkardooma Courts, Delhi.
Case No.: CS(Comm) 450/2023
Punjab & Sind Bank
V/s
Manish, Proprietor M/s Sunshine International
To,
Manish, Proprietor, M/s Sunshine International, Flat No. 5, 2nd Floor, Khasra No. 75/1, Nehru Enclave, (Opp. Matke Waali Khaoli), Alipur, Delhi-110036.
Also At: Ground Floor, Property No. 463, Ward No. XIII, Gali Teliyan Teliwar, Delhi-110006.
Also At: Khasra No. 206, Near Chocolate Factory, Alipur, Delhi-110036.
Also At: Flat No. 297, Pocket-D, Sector-32, Narela, Delhi-110040
The Respondent Above Named
Whereas You are intentionally avoiding service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **16.12.2025** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this **31.10.2025.**
Seal Sd/-
District Judge (Commercial Court)-02, East, New Building, Karkardooma Courts, Delhi

---

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
In The Court of
Ms. Anu Grover Baliga, District Judge (Commercial Court)-04, Room No. 21, Block-I, South-East District, Saket Court Complex, New Delhi.
Suit No. CS/Comm/ 494/2025
Title: State Bank of India ......Petitioner
V/s
Mr. Bigamber Singh Rawat .....Respondent
To,
Mr. Bighamber Rawat S/o Late Sabar Singh Rawat, R/o H-277, Type-2, Nanakpura, Chanakya Puri, New Delhi-110021
Also At: Mr. Bighamber Rawat S/o Late Sabar Singh Rawat, C/o Central Public Works Department, Office ID-D91759194, Employee ID-BS130041964CHOW0619 84 Designation: MTS, GPF No. CSDI/115, DR-ADG (NDR)-II, Delhi Circle I-R Devision, CPWD-IP Bhawan, New Delhi-110002.
Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **15.12.2025** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the Court, this **03.11.2022.**
Seal Sd/-
District Judge (Commercial Court)-04, Block-I, South-East District, Saket Court Complex, New Delhi.

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम
अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल, शाहजहाँपुर

ई–निविदा सूचना 32/विविमं शाह(कार्य)/2025–26

कार्य का नामः विद्युत वितरण खण्ड–चिनौर के अन्तर्गत पूर्ण जमा मद में विद्युतीकरण सम्बन्धी रनिंग कार्य कराए जाने हेतु।

ई–निविदा प्रपत्र शुल्कः रू. 3540	धरोहर राशिः रू. 45,000.00

ई–निविदा की अंतिम तिथिः 29 नवम्बर 2025, 12.00 बजे।

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।

(जागेष कुमार), अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, षाहजहांपुर

पत्रांकः 4986/वि.वि.मं.षाह/दिनांक 11.11.2025

वांछित व्यक्ति

वांछित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम **अज्ञात, उम्रः 30 वर्ष, कदः 5'8", रंगः गेहुंआ, शरीरः पतला, पहनावाः नीला स्वेटर और नीली जींस पहने हुए है जोकि एक आरोपी है और इस संदर्भ में FIR No. 80106690, U/s 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023, Dated 10.11.2025** के तहत पुलिस थाना, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है।

आरोपी व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। अगर किसी को इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले कृप्या पुलिस थाना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली को सूचित करने की कृपा करें।

वेबसाइटः http://cbi.nic.in, ई–मेलः cic@cbi.gov.in
फोनः 011–24368638/24368641, फैक्सः 011–24368639

थाना प्रभारी
पुलिस थाना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली
DP/15265/RLY/2025 **फोनः 011-24356743, 8750871311**

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **भुट्टे पुत्रः** श्री रामचरण I–217 जहांगीरपुरी जे जे कॉलोनी दिल्ली, ने **FIR No. 53373/2016, FIR No. 186/2011 U/s 341/325/34 IPC थानाः कंझावला, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **भुट्टे,** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **भुट्टे,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 53373/2016, FIR No. 186/2011 U/s 341/325/34 IPC थानाः कंझावला, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **भुट्टे,** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **22.12.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री अपूर्व भारद्वाज
जेएमएफसी–02, कमरा नंबर 113
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली
DP/15121/RD/2025
(Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा **82Cr.P.C. / 84 BNSS** देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त, **सोनू राजभर उर्फ गोलू उर्फ भोलू, पुत्रः** दशरथ उर्फ भोलू, पताः मकान न. 50, न्यू प्रियंका कैम्प, सरिता विहार, नई दिल्ली, ने **FIR No.: 464/2022, U/s: 380/411/34 IPC,** थानाः सरिता विहार, नई दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, सोनू राजभर उर्फ गोलू उर्फ भोलू, मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **सोनू राजभर उर्फ गोलू उर्फ भोलू,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No.: 464/2022, U/s: 380/411/34 IPC,** थानाः सरिता विहार, नई दिल्ली, के उक्त अभियुक्त, सोनू राजभर उर्फ गोलू उर्फ भोलू, से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **19.12.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री अरिदमन सिंह चीमा, एलडी.
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–05
दक्षिण–पूर्व जिला, कमरा न. 510
साकेत न्यायालय परिसर, नई दिल्ली
DP/14531/ED/2025
(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 बीएनएसएस देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **रवि उर्फ पप्पी** पताः **कुलदीप का मकान, चौपाल के पास, शाहीपुर गाँव, शालीमार बाग, दिल्ली** ने case **e-FIR No. 291/2022 U/s 308/34 IPC, थानाः शालीमार बाग, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **रवि उर्फ पप्पी** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **रवि उर्फ पप्पी** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case **e-FIR No. 291/2022 U/s 308/34 IPC, थानाः शालीमार बाग, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **रवि उर्फ पप्पी** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकदमा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 18.12.2025** को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार
श्री राजेन्दर कुमार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–06
उत्तर पश्चिम, रूम नं. 217, दूसरी मंजिल
राहिणी कोर्ट, दिल्ली
DP/14995/NW/2025 (Court Matter)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि जिला खण्ड प्रथम बीकानेर
क्रमांकः 1922 दिनांकः 06.11.2025

Notice Inviting Bid: 24/2025-26

Bid for the Work Construction of BT roads in Khajuwala Block under Package No. RJ-08-01/CM Thar BADP/2025-26 are invited from interested bidders upto 17.11.2025 [09:30 AM] to 21.11.2025 [06:00 PM] & Open date 24.11.2025 [11:00 AM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 243.91 Lakh.
UBN No. PWD2526WSOB16425 Sd/-
Executive Engineer,

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई प्रणाली के अन्तर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली–110055 द्वारा इच्छुक फर्मो से निम्नलिखित मदों के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0 सं0	निविदा संख्या	विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
1.	93256013	एयर कंप्रेसर की आपूर्ति, स्थापना और चालूकरण– रोटरी स्क्रू प्रकार, डीजल चालित, क्षमताः 300 CFM, दबावः 10 किग्रा/से.मी.^{2}, विनिर्देश संख्या NR/DAC/2025/DLI/01 के अनुसार।	5 नग	09.12.2025

निविदा शर्तें–1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानी **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। टेंडर नोटिस सं: 93256013 दिनांक: 12.11.2025

3524/25

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उ. प्र. पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लि.
अधिषासी अभियंता, विद्युत पारेषण खण्ड, अलीगढ़

ई–निविदा सूचना संख्याः–01/वि.जा.पा.खं./अली./2025–26

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु पृथक निविदा दो भागों (पार्ट–I टेक्निकल बिड एवं पार्ट–II फाइनेंशियल) में आमंत्रित की जाती है।

1. कार्य का नामः खण्डीय कार्यालय विद्युत जानपद पारेषण खण्ड, लाल डिग्गी, अलीगढ़ के कार्यालय भवन में अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बन्धी जानपदीय कार्य।

2. कार्य की अनुमानित लागतः रू. 1.99 (जी.एस.टी. अतिरिक्त)

3. कार्यावधिः 02 माह

उक्त निविदा की Technical Bid एवं अन्य शर्तें तथा मात्रा बीजक इत्यादि का विस्तृत विवरण www.upptcl.org पर देखा जा सकता है एवं http://etender.up.nic.in साइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दिनांक 15.12.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक साइट पर डाला/अपलोड किया जा सकता है तथा दिनांक 15.12.2025 को 03.00 बजे सार्वजनिक रूप से निविदायें खोली जायेगी।

''राष्ट्र हित में बिजली बचाएं''

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण खण्ड, अलीगढ़।

पत्रांकः 652/वि.जा.पा.खं.अली./दिनांक 12.11.2025

ऋण वसूली अधिकरण–II, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसूली की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 12 एवं 13 के अंतर्गत सूचना निम्नलिखित के मामले में
ओए. नं. 24/2025 दिनांकः 24.10.2025
एचडीएफसी बैंक लि. ....आवेदक बनाम मैसर्स वीवी वूड एलएलपी एवं अन्य ......प्रतिवादी
सेवा में प्रतिवादी, 1. मैसर्स वीवी वूड एलएलपी एवं अन्य डी/डब्ल्यू/एस वजीर एलएस नं. 206, मिथिरोहर गांधीधाम कच्छ गुजरात–370201, 2. मैसर्स वजीर सिंह, एफ–164 तीसरा तल, मानसरोवर गार्डन रमेश नगर पश्चिम दिल्ली–110015, 3. श्रीमती हरमीत कौर, एफ–164 तीसरा तल मानसरोवर गार्डन रमेश नगर पश्चिम दिल्ली–110015, 4.मैसर्स नामधारी टिम्बर प्रा. लि. 48/21 राजधानी पार्क सुखीनहर नांगलोई दक्षिण दिल्ली, दिल्ली–110041
चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु. 6,26,96,033.28/– (छह करोड़ छब्बीस लाख छियानबे हजार तैंतीस रुपए एवं अठाईस पैसे) की वसूली के लिए आपके विरूद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 07.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या भौतिक के माध्यम से लिया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए (i) सभी अधिवक्ता/लिटिगेंट्स को सिस्को वेबैक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। (ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली सुनवाई की तिथि के लिए ''मीटिंग आईडी'' एवं पासवर्ड डीआरटी आधिकारिक पोर्टल drt.gov.in पर सुनवाई की तिथि से दैनिक कारण सूची पर प्रदर्शित किया जाएगा। (iii) किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अधिवक्ता/लिटिगेंट्स फोन नं. 23748478 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
आज 24 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।
अधिकरण के आदेशानुसार अनुभाग अधिकारी, डीआरटी–II, दिल्ली

मध्यांचल विद्युत् वितरण मंडल
अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल गोला

ई–निविदा सूचनाः

निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

1. 54/वि.वि.मं.गो./2025–26 विद्युत् परीक्षण खंड गोला के अंतर्गत आने वाले वितरनो खंडों में 1912 पोर्टल, आई.डी.एफ व अन्य खराब मीटरों को बदलने के कार्य हेतु प्रपत्र शुल्क 1180.00 धरोहर धनराशि 5,000.00
2. 55/वि.वि.मं.गो./2025–26 विद्युत् वितरण खंड पलिया के आर.ए.पी. डी.आर.पी. 33/11 के.वी. पलिया तहसील के अंतर्गत क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य हेतु, प्रपत्र शुल्क 1180.00 धरोहर धनराशि 2,000.00
3. 56/वि.वि.मं.गो./2025–26 विद्युत् वितरण खंड गोला के क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त ओवरहेड केबल को सुरक्षा के दृष्टिगत बदलवाने के कार्य हेतु प्रपत्र शुल्क 1180.00 धरोहर धनराशि 4100.00
4. 57/वि.वि.मं.गो./2025–26 विद्युत वितरण खंड गोला के अंतर्गत उपखंड अधिकारी विद्युत् वितरण उपखंड प्रथम गोला खीरी के उपयोगार्थ 01 अदद डीजल वाहन हेतु प्रपत्र शुल्क 1180.00 धरोहर धनराशि 2640.00

ई–निविदा की अंतिम तिथिः 27 नवम्बर 2025, 14.00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।

पत्रांकः 4448/वि.वि.मं.गो./दिनांक 11.11.2025

यूनिटेक लिमिटेड unitech
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजी. कार्यालयः 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
टेलीः 011-26857338
ई–मेलः share.dept@unitechgroup.com | **वेबः** www.unitechgroup.com

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए आ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का विवरण

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 13 नवंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए आ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का अनुमोदन कर दिया है।
निवेशक वित्तीय परिणाम और साथ में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.unitechgroup.com/investor-relations/financial.asp और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com से प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिणाम यहां पर उपलब्ध कराए गए क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर) स्कैन करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कैन करें

टिप्पणः उपर्युक्त सूचना सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुरूप प्रदान की गई है।

कृते यूनिटेक लिमिटेड
हस्ता/-
स्थानः गुरूग्राम **युद्धवीर सिंह मलिक**
दिनांकः 13 नवंबर, 2025 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED
CIN: L34300HR1983PLC023187
Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram-122001, Haryana
Tel: 0124 2824117, **Fax:** 0124 2824200, **Email:** cs@ricoauto.in,
Website: www.ricoauto.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

2ND REMINDER TO PHYSICAL SHAREHOLDERS SPECIAL WINDOW FOR ONLY RELODGEMENT OF TRANSFER DEEDS FOR SHARES HELD IN PHYSICAL MODE

Notice is hereby given that Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, opened a special window for a period of six months i.e. from 7th July, 2025 to 6th January, 2026 to facilitate re-lodgement of share transfer deeds only. Pursuant to the said circular, the Company had published the notices on 17th July, 2025 and 9th September, 2025 which were also made available to the Stock Exchanges and website of the Company.

This facility is specifically applicable to only such cases where the original share transfer requests were lodged prior to 1st April, 2019 and returned/rejected/not attended due to deficiencies in documents/process or otherwise. Such cases can now be re-lodged after rectifying the errors during the period i.e. from 7th July, 2025 to 6th January, 2026.

The shareholders are requested to note that the shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form, once all documents are found in order by MCS Share Transfer Agent Limited (RTA). Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at below address or write to the Company at cs@ricoauto.in for further assistance. The lodger must have demat account and provide Client Master List (CML) along with transfer documents, and share certificates, while re-lodging the documents for transfer to RTA.

UPDATE KYC AND CONVERT PHYSICAL SHARES INTO DEMAT MODE

The shareholders who are holding shares in physical form are requested to update their KYC and also convert their physical share Certificate into dematerialized form (electronic form) at the earliest. The shareholders are also requested to claim their unclaimed dividend amounts, otherwise, the corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will be transferred to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) as per the procedure set out in the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

For any further queries, write to :
MCS Share Transfer Agent Limited
Unit: Rico Auto Industries Limited
179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor,
Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi – 110 020
Tel: (011)41406149
E-mail: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

for **Rico Auto Industries Limited**
Sd/-
Date : 13th November, 2025 **Ruchika Gupta**
Place : Gurugram **Company Secretary, FCS No. 6456**

सार्वजनिक सूचना (नीलामी)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सेठ रामगोपाल गोवर्धनदास मोहता धर्मार्थ ट्रस्ट की पहाड़गंज, नई दिल्ली स्थित 1400 वर्ग गज अचल सम्पदा, जो ट्रस्ट की है, जिसके विक्रय के संबंध में आयुक्त देवस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 5 (33) न्याय/देव/2020 / दिनांक 27.03.2025 के द्वारा खुली बोली से नीलामी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत दिए जाने के अनुसरण में ट्रस्ट द्वारा पूर्व में 535 वर्गमीटर भूमि विक्रय करने के पश्चात् शेष रही 636 वर्गमीटर भूमि दिनांक 25.11.2025 को जरिये नीलामी विक्रय किया जाना नियत किया है, इसलिए इच्छुक खरीददार दिनांक 25.11.2025 को ट्रस्ट के नई दिल्ली स्थित अस्थाई ऑफिस पुराने कोर्ट परिसर के पास, कश्मिरी गेट, नई दिल्ली में खुली बोली हेतु उपस्थित रहें।
शर्तें– 1. समय दिनांक 25.11.2025 को प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक रहेगा
2. इच्छुक खरीददार नीलामी से पूर्व धरोहर राशि 5,00,000/– रूपये बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा जमा करा बोली लगा सकते हैं।
3. अंतिम बोलीदाता को तमाम राशि 07 दिवस के भीतर–भीतर जमा करवानी होगी एवं पंजीयन व स्टाम्प संबंधित खर्च खरीददार वहन करेगा।
4. अंतिम बोली की संतोषजनक राशि प्राप्त न होने पर नीलामी को निरस्त करने का विवेकाधिकार ट्रस्ट को होगा।
यह सूचना आज दिनांक 08.11.2025 का मेरे हस्ताक्षर व ट्रस्ट की मुद्रा से जारी की गई।
जरिये प्रबन्धक/ट्रस्टी झंरमदक
(राजेन्द्र कुमार मोहता)

Public Notice

"It is to informed to the public at large that one Mr. Harpreet Singh, who is the owner of said property i.e. DDA Built-Up, Freehold SFS Category-II, Flat No. 3013, on Third Floor, Alongwith, Scooter Garage, Situated at Sector-B, Vasant Kunj, New Delhi-110070 hereinafter referred to as "said property", having acquired the same by virtue of reg. Sale Deed dated 20.08.2025 executed by Mr. Sanjeev Kumar Kad in favour of Mr. Harpreet Singh in relation to the property in question and the said Sale Deed is duly registered as Document No. 2025/8/I/5441 Book No. I, Volume No. 4060 on Pages 45-70 dated 21.08.2025 in the office of Sub Registrar, New Delhi Sarojini Nagar, in respect of the said property. Notice is hereby given to the general public that if Any other person having claims regarding sale, mortgage, charge, trust or otherwise are requested to inform, Further, it is hereby declared that title of the said Property, is absolutely valid, clear and marketable and there is no dispute / Litigation pending in any court of law, in respect of said Property. Whosoever, is having any objection to said mortgage OR any Person having any type of claim/right/title/interest over the said property may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 15 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lien etc. Dharmendar Kamti, Address: A2/162 & 163 Lower Ground Floor, Safdarjung Enclave, South Delhi-110029.

Pasting on the Court Door of the Court Room on: 14/11/2025. Publication of Proclamation: 14/11/2025. Beat of Drum and affixation on spot: 24/11/2025 Auction of Spot: 24/12/2025 at 11:00 AM. Report on: 14/01/2026.

Warrant of Sale of Property in Execution of a Partition Decree
(Order XXI, Rule 66, of the Code of Civil Procedure)
In The Court of
Sh. Dharmender Singh, District Judge-01, (West), Room No.215, Tis Hazari Courts, Delhi.
Ex. DJ-152/2025 CS No.895/2021.
Tile: Ravi Kumar
V/S
Dinesh Kumar (Since Deceased) Through Lr's
Ravi Kumar S/o Lt. Tilak Raj, R/o B-2/349, Sector-06, Rohini, Delhi-110085. **.....Decree Holder**
Vs
1. Dinesh Kumar (Since Deceased) Through Lrs:
A. Suman Rani
B. Ms. Kusum D/o Dinesh Kumar
C. Nikhil S/o Dinesh Kumar
All Residence of: D-60, Gali No. 9 Shiv Ram Park, Nangloi, Delhi-110041.
2. Rita Thakur W/o Lt. Tarsem Thakur **R/o** G-72. 3rd Floor, Lajpat Nagar-Ii Delhi-110024.
Also At: House No. 5, Ground Floor, Block-3 Opp. Emerald Public School, Spring Field Colony, Faridabad, Haryana-121003.
3. Prabha Luthra W/o Lt. Tilak Raj Dasoar R/o 5-A/10942, Tank Road, Sat Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
4. Neelam Babbar (Since Deceased) Through Lrs:
A. Jai Gopal Babbar (Husband)
B. Kunal Babbar (Son)
C. Karan Babbar (Son) All Resident Of: 1/10672, Subhash Park, Naveen Shahdara, Delhi 110032.
.....Judgement Debtor
Seal Sd/-
District Judge-01, (West)
Tis Hazari Court, Delhi.

To,
The Court Auctioneer
Mr. Kanhiya Lal Choudhary Adv (Enrl. No. D-386/1996) R/o 1173, First Floor, Gali Dharamshala, Kucha Pati Ram, Sita Ram Bazar, Delhi-110006.
As per decree passed in suit no. CS 895/2021 the suit property i.e. Plot No. 60, Measuring 125 Sq. Yds. Out of Khasra No. 26/12 Situated At Village Kamruddin Nagar, Shiv Ram Park, Block D, Nangloi Delhi 110041 is to be sold in auction sale during execution and the sale proceeds be distributed between the parties in terms of preliminary decree. In this matter the value of suit property was determined Rs. 1.25 Crores and the reserved price of the suit property is determined as Rs. 1.25 Crores.
Parties/co-sharers are also permitted to participate in the bidding/auction. In order to ensure the participation of serious bidders, there will be a mandatory pre-condition of earnest money deposit in a sum of Rs. 1,25,000/- by way of demand draft, in order to participate in the auction. The said amount is about 1% of the reserve price.
You are further commanded to return this warrant on or before the **14.01.2026** with an endorsement certifying the manner in which it has been executed, or the reason why it has not been executed.
Given under my hand and the seal of the court, dt. **07.11.2025.**

Schedule

Suit Property Bearing Plot No. 60, Measuring 125 Sq. Yds. Out of Khasra No. 26/12 Situated At Village Kamruddin Nagar, Shiv Ram Park, Block-D, Nangloi Delhi -110041.
Annex: Attested copy of order dt. 01.08.2025 and **09.10.2025** are attached herewith for direction and compliance.
Seal Sd/-
District Judge-01, (West)
Tis Hazari Court, Delhi.

Public Notice

We, Kunj Mittal (Aadhar Card No. 2602 2043 2837) Son of Sh. Subhash Chand [2] Sarika Mittal (Aadhar Card No. 5064 7191 2991) Wife of Sh. Kunj Mittal Both R/o 229/21 D Mandawali Fazalpur Railway Colony, Delhi-110092 do hereby declare that our Unmarried son Jatin Mittal is out of control from us and due to illegal activities of our son we have decided to debarred our son from our moveable or immoveable properties. That in future any body would be deal relation etc with our son with their entire risk and responsibility and in this regard we will not be responsible. That after debarring our son we have no relation or concern with our son.

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।